

क्र. सं.	प्रत्यर्थी द्वारा हिंसा करना	स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा भोगी गई हिंसा के परिणाम	स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा हिंसा के सम्बन्ध में आशंकाएँ	सुरक्षा के लिए अपेक्षित कदम	न्यायालय से चाहे गए आदेश
8.	व्यथित व्यक्ति/उसके बालकों/माता-पिता/नातेदारों को अपहानि करने का मौखिक धमकी देना।	(क) लगातार भय में रहना। (ख) मानसिक आघात, पीड़ा। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) प्रत्यर्थी वर्णित धमकियों को निष्पादित कर सकता है। (ख) मानसिक आघात, पीड़ा। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
9.	विद्यालय/महाविद्यालय/किसी अन्य शैक्षणिक संस्था में उपस्थित होने के लिए मजबूर करना।	(क) अवसाद (ख) मानसिक आघात, पीड़ा। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) पुनरावृत्ति (ख) मानसिक आघात, पीड़ा। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
10.	विवाह के लिए मजबूर करना जब वह विवाह न करना चाहती हो। पसंद के व्यक्ति से विवाह न करने के लिए मजबूर करना। प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थियों की पसंद के व्यक्ति से विवाह के लिए मजबूर करना।	(क) अवसाद (ख) मानसिक आघात, पीड़ा। (ग) बलपूर्वक विवाह किए जाने का भय। (घ) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) पुनरावृत्ति (ख) मानसिक आघात, पीड़ा। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
11.	बालक/बालकों के व्यपहरण की धमकी देना	(क) लगातार भय में रहना। (ख) बालक/बालकों की सुरक्षा को भय। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) बालकों का व्यपहरण हो सकता है। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
12.	व्यथित व्यक्ति/बालकों/नातेदारों को वास्तविक अपहानि करना।	(क) और अपहानि के लगातार भय में रहना।	(क) पुनरावृत्ति (ख) वृद्धि		

क्र. सं.	प्रत्यर्थी द्वारा हिंसा करना	स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा भोगी गई हिंसा के परिणाम	स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा हिंसा के सम्बन्ध में आशंकाएँ	सुरक्षा के लिए अपेक्षित कदम	न्यायालय से चाहे गए आदेश
		(ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(ग) क्षति का भय (घ) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
13.	पदार्थ (मादक द्रव्य/ अल्कोहल) का दुरुपयोग करना।	(क) पदार्थ दुरुपयोग के कारण प्रत्यर्थी द्वारा गाली गलौज और हिंसक व्यवहार के लगातार भय में रहना। (ख) सामान्य जीवन जीने से वंचित होना। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) उपयोग करने के पश्चात् शारीरिक हिंसा। (ख) इसका उपयोग करने के पश्चात् अपमानजनक व्यवहार। (ग) रखरखाव/घरेलू व्यर्थों का संदाय न करना। (घ) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
14.	आपराधिक व्यवहार का इतिहास।	(क) हिंसा का लगातार भय। (ख) प्रत्यर्थी द्वारा बदले का भय।	(क) प्रत्यर्थी विधि का उल्लंघन करने की प्रवृत्ति रखता हो और न्यायालय द्वारा उसके विरुद्ध पारित आदेश की अवज्ञा का संभावना।		
			(ख) प्रत्यर्थी व्यथित व्यक्ति/बालकों को कोई और कार्यवाही द्वारा अपहानि पहुँचा सकता है।		
15.	रखरखाव, भोजन, कपड़ों, दवाईयों आदि के लिए धन प्रदान न करना।	(क) आवारापन और निराश्रयता की ओर प्रवृत्ति। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) उसके बालक/बालकों तथा उसकी स्वयं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना।		

क्र. सं.	प्रत्यर्थी द्वारा हिंसा करना	स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा भोगी गई हिंसा के परिणाम	स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा हिंसा के सम्बन्ध में आशंकाएँ	सुरक्षा के लिए अपेक्षित कदम	न्यायालय से चाहे गए आदेश
			(ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
16.	रोजगार करने से रोकना, विक्षुब्ध करना या उसके लिए अनुज्ञात न करना।	(क) स्वयं की तथा अपने बालकों की मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में असमर्थ होना। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) उसके बालक/बालकों तथा उसकी स्वयं की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को पूर्ण करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
17.	गृह से बलपूर्वक निकालना, गृह में प्रवेश करने या गृह के किसी भाग का प्रयोग करने से रोकना या उसे छोड़ने से निवारित करना।	(क) स्वयं और अपने बालकों के ठहरने के लिए कोई स्थान न होना। (ख) गृह के किसी विशेष क्षेत्र तक निर्बन्धित।	(क) उसके बालक/बालक तथा उसकी स्वयं की सुरक्षा। (ख) उसको स्वयं को तथा उसको बालकों को शरण प्रदान करने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
18.	कपड़ों, साधारण घरेलू उपयोग की वस्तुओं या चीजों का प्रयोग अनुज्ञात न करना।	(क) कपड़ों, वस्तुओं या चीजों का कब्जा खोना। (ख) कपड़ों, वस्तुओं या चीजों की बदलने के लिए संसाधन न होना।	(क) प्रत्यर्थी द्वारा कपड़ों, वस्तुओं या चीजों का निपटान किया जा सकता है। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		

क्र. सं.	प्रत्यर्थी द्वारा हिंसा करना	स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा भोगी गई हिंसा के परिणाम	स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा हिंसा के सम्बन्ध में आशंकाएँ	सुरक्षा के लिए अपेक्षित कदम	न्यायालय से चाहे गए आदेश
19.	किराए के आवास के मामले में किराए का संदाय न करना।	(क) ऐसे संदाय न करने पर स्वामी द्वारा आवास छोड़ने के लिए कहा जाना। (ख) रहने के लिए कोई वैकल्पिक आवास न होना। (ग) आवास का किराया देने के लिए आय न होना।	(क) आश्रय खोना। (ख) अत्यधिक कठिनाई का सामना करना। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
20.	सूचित किए बिना या सम्पत्ति के बिना स्त्रीधन या कोई अन्य मूल्यवान वस्तुओं को बेचना या गिरवी रखना।	(क) मूल्यवान वस्तुओं या सम्पत्ति का नुकसान। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) मूल्यवान वस्तु या स्त्रीधन का निष्पादन प्रत्यर्थी द्वारा किया जा सकता है। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
21.	स्त्रीधन के बेकब्जा करना।	(क) उसके कब्जे में सम्पत्ति से उसे वंचित करना। (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) स्त्रीधन का निपटारा प्रत्यर्थी द्वारा किया जा सकता है। (ख) स्त्रीधन को पुनः कभी न प्राप्त करने का भय।		
22.	सिविल/दांडिक न्यायालय आदेश, विनिर्दिष्ट आदेश को भंग करना।	कृपया विनिर्दिष्ट करें।	कृपया विनिर्दिष्ट करें।		

हस्ताक्षर
पीड़ित व्यक्ति

हस्ताक्षर
सेवा प्रदाता/संरक्षण अधिकारी/
पुलिस अधिकारी

क्र. सं.	प्रत्यर्थी द्वारा हिंसा करना	स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा भोगी गई हिंसा के परिणाम	स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा हिंसा के सम्बन्ध में आशंकाएँ	सुरक्षा के लिए अपेक्षित कदम	न्यायालय से चाहे गए आदेश
3.	गला घोटने के प्रयत्न करना	(क) शारीरिक क्षति (ख) रुग्ण मानसिक स्वास्थ्य (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) पुनरावृत्ति (ख) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
4.	बालकों से मारपीट करना	(क) बालकों की क्षति (ख) बालकों पर उसका विपरीत मानसिक प्रभाव (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) पुनरावृत्ति का जोखिम (ख) बालक पर हिंसक व्यवहार/वातावरण का विपरीत प्रभाव।		
5.	प्रत्यर्थी द्वारा आत्महत्या करने की धमकी देना।	(क) घर में हिंसक वातावरण (ख) सुरक्षा को भय (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) आत्महत्या करने का वास्तविक प्रयास (ख) पुनरावृत्ति (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
6.	प्रत्यर्थी द्वारा आत्महत्या करने के प्रयत्न करना।	(क) घर में हिंसक वातावरण (ख) असुरक्षा, चिंता, अवसाद, मानसिक आघात। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) आत्महत्या के प्रयत्न की पुनरावृत्ति, वृद्धि करना, बढ़ाना। (ख) मानसिक आघात पीड़ा। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
7.	परिवादिनी से मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार जैसे अपमान करना, उपहास करना, पुरुष संतान न होने के लिए अपमान करना, असतीत्व के मिथ्या आरोप लगाना आदि।	(क) अवसाद (ख) मानसिक आघात, पीड़ा। (ग) बालक/बालकों के लिए अनुपयुक्त वातावरण। (घ) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।	(क) दुर्व्यवहार की पुनरावृत्ति, वृद्धि करना, बढ़ाना। (ख) मानसिक आघात पीड़ा। (ग) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		

क्र. सं.	क प्रत्यर्थी द्वारा हिंसा करना	ख स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा भोगी गई हिंसा के परिणाम	ग स्तंभ क में वर्णित व्यथित व्यक्ति द्वारा हिंसा के सम्बन्ध में आशंकाएँ	घ सुरक्षा के लिए अपेक्षित कदम	ङ न्यायालय से चाहे गए आदेश
1.	प्रत्यर्थी द्वारा शारीरिक हिंसा करना	परिवादिनी का बोध कि उसे और उसके बच्चों को शारीरिक हिंसा दोहराए जाने का जोखिम है।	(क) पुनरावृत्ति (ख) वृद्धि (ग) क्षति का भय (घ) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		
2.	दुर्व्यवहार, अपमान या तिरस्कार अन्यथा आपकी गरिमा का अतिक्रमण करने वाला कोई लैंगिक कृत्य।	(क) अवसाद। (ख) ऐसे किसी कृत्य की पुनरावृत्ति को जोखिम। (ग) ऐसे कृत्य कारित करने के लिए प्रयत्नों का सामना करना।	(क) पुनरावृत्ति (ख) वृद्धि (ग) क्षति का भय (घ) कोई अन्य, विनिर्दिष्ट करें।		